कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:24,451 /सात लाई०–48/आबकारी नीति–2025/देहरादूनः दिनांकः मार्च 06 2025

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-I/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025–26 हेतु देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:–

क्र0सं0	विवरण	दिनांक
1.	समस्त देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के वर्ष 2025–26 हेतु नवीनीकरण की तिथि	07.03.2025 से 16.03.2025 तक
2.	फुटकर मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के पश्चात अवशेष अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन प्रथम चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	19.03.2025 से 21.03.2025तक
3.	प्रथम चरण की लॉटरी की तिथि	22.03.2025
4.	प्रथम चरण की लॉटरी के पश्चात अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	23.03.2025 से 24.03.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे तक
5.	द्वितीय चरण की लॉटरी की तिथि	24.03.2025 को सांय 05.00 से प्रक्रिया पूर्ण होने तक

जनपद में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं नवीनीकरण उपरांत अवशेष/अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों को लॉटरीके माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, निर्धारित राजस्व की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्ते तथा व्यवस्थापन की सम्पूर्ण समय सारणी विभाग की वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in तथा www.uk.gov.in से प्राप्त जा सकती है एवं सम्बन्धित जनपद के कार्यालय जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी व कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून से भी प्राप्त की जा सकती है। मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु जनपदवार व्यवस्थापन कार्यक्रम की सूचना विभाग की वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in तथा www.uk.gov.in पर उपलब्ध है और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नवीनीकरण की प्रक्रिया संपादित की जाएगी।

नोटः– प्रदेश आबकारी राजस्व हित में फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन की समयसारिणी में आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा जिसकी सूचना विभाग की वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in तथा www.uk.gov.in से प्राप्त जा सकती है।

(हरिचन्द सेमवाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 24,452–56 /सात लाई०–48/आबकारी नीति–2025/देहरादूनः तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नवीनीकरण के पश्चात अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों की सूची वार्षिक राजस्व सहित एवं अन्य औपचारिकताओं के ब्यौरे सहित आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 के अनुरूप दैनिक समाचार पत्र में प्रचार प्रसार हेतु जनपदवार व्यवस्थापन हेतु समयसारणी के अनुसार प्रकाशित की जायेगी।
5. हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, उत्तर उजाला, पंजाब केसरी व अंग्रेजी दैनिक द पायनियर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उत्तराखंड प्रादेशिक संस्करण में दिनांक 07.03.2025 को न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखंड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(हरिचन्द सेमवाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

CamScanner

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
विज्ञप्ति

संख्याः 25,557 / सात लाई०–48 / आबकारी नीति–2025 / देहरादूनः दिनांकः मार्च, 06 2025

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176 / XXIII-1 / 2025–04 (01) / 2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025–26व 2026–27 हेतु देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण की प्रक्रिया की निम्नवत् समय सारिणी के अनुसार सम्पादित की जायेगीः–

क्र०सं0	जनपद का नाम	नवीनीकरण की प्रक्रिया हेतु निर्धारित तिथि
1	उत्तरकाशी, टिहरी,बागेश्वर व नैनीताल	07–03–2025 से 09–03–2025
2	हरिद्वार व अल्मोड़ा	09–03–2025 से 11–03–2025
3	ऊधमसिंहनगर, चम्पावत, पौड़ी व चमोली	11–03–2025 से 12–03–2025
4	देहरादून, पिथौरागढ़ व रूद्रप्रयाग	12–03–2025 से 16–03–2025

जनपद में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, निर्धारित राजस्व की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्ते तथा व्यवस्थापन की सम्पूर्ण समय सारणी विभाग की वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in तथा www.uk.gov.in से प्राप्त जा सकती है। मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु जनपदवार व्यवस्थापन कार्यक्रम की सूचना विभाग की वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in तथा www.uk.gov.in पर उपलब्ध है, और इसी कार्यक्रम के अनुसार नवीनीकरण की प्रक्रिया संपादित की जाएगी।

नोटः– प्रदेश आबकारी राजस्व हित में फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन की समय सारिणी में आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना विभाग की वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in तथा www.uk.gov.in से प्राप्त जा सकती है।

सार्वजनिक अवकाश अवधि 13–03–2025 व 14–03–2025को कार्यालय बंद होने के कारण नवीनीकरण की प्रक्रिया संपादित नहीं की जाएगी।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 25,558–51 / सात लाई०–48 / आबकारी नीति–2025 / देहरादूनः तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर / संयुक्त / उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

CamScanner